

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 532/2017/झुंझुनु

न्यू जोधपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी,
खन्ना मार्केट, तीस हजारी दिल्ली

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्य कर अधिकारी,
प्रथम, वृत प्रतिकरापवंचन झुंझुनु।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के. वैद,

उप राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 445/अपील्स-प्रथम/आर.वेट/जयपुर/16-17 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, वृत प्रतिकरापवंचन झुंझुनु (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित कर व शास्ति रूपये 460510/- को यथावत रखा है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्य कर अधिकारी घट द्वितीय वृत प्रतिकरापवंचन झुंझुनु द्वारा दिनांक 13/01/2017 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे 18 जी.ए 5869 को मलसीसर पुलिस थाने के पास चैक किया गया। वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री प्यारे लाल ने जांच अधिकारी के समक्ष वाहन में लदे परचुन माल का परिवहन दिल्ली से नागौर, नौखा एवं बीकानेर के लिये किया जाना जाहिर किया गया। अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिल व बिल्टियो के संदिग्ध प्रतीत होने के कारण वाहन को निरुद्ध किया गया। वाहन में लदे माल के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत प्रतिकरापवंचन झुंझुनु द्वारा लिखित निवेदन पर उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर द्वारा दिनांक 16/01/2017 को टीम गठित की गई जिन पर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक द्वारा जरिये पत्र दिनांक 18/01/2017 को आपति दर्ज करायी गई, जिसे उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर द्वारा 20/01/2017 को अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय कमेटी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन कर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय प्राधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध होने से कायम मांग राशि अपास्तनीय है। अपील आधारों को दोहराते हुए कथन किया कि वाहन चालक द्वारा माल चैकिंग के दौरान ही समस्त दस्तावेज यथा बिल व बिल्टी उपलब्ध करायी जाकर धारा 76(2) की पालना कर दी गई थी। चूंकि परिवहनित माल के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन विधिक रूप से व निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है जिससे माल व मूल्य संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ है। परिवहनित माल की दरे बाजार भाव से नहीं ली जाकर काल्पनिक आधार पर नियम 23 के प्रावधानों के विपरीत ली गई है। उनका यह भी कथन है कि आईटम नं. 26 व 42 वाहन में उपलब्ध नहीं थे फिर भी सशक्त अधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन मनगढन्त रूप से किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा माल के मूल्यांकन के लिए गठित कमेटी के सदस्यों के नामों पर आपत्ति करते हुए, उन्हें बदलने का निवेदन किये जाने पर भी कमेटी के सदस्यों को परिवर्तित नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कुछ माल वाहन में परिवहनित ही नहीं है उसका मूल्यांकन कमेटी द्वारा तैयार की गई फर्द में अंकित है। इसी प्रकार कुछ माल का मूल्यांकन वास्तविक व बाजार भाव से कम व ज्यादा है। विभागीय टीम के अनुसार माल का कुल मूल्यांकन 12,41,840/- है जिसकी तुलना में अपीलार्थी के द्वारा आंकलित राशि 5,65,100/- है। अतः सही समिति बनाने व सही मूल्यांकन करवाने का निवेदन किया।

4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य विवादित बिंदु माल के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 1401 दिनांक 16/01/2017 द्वारा गठित टीम में निम्न अधिकारियों को शामिल किया गया था:-

- (i) श्रीमती सुमन बुडानिया स.वा.क.अ झुंझुनु।
- (ii) श्री चंद माहीच, क.वा.क.अ झुंझुनु।
- (iii) श्री श्रीपाल सिंह क.वा.क.अ आई झुंझुनु।
- (iv) श्री कन्हैया लाल क.वा.क.अ आई झुंझुनु।

उक्त भार वाहन में लदे माल के भौतिक सत्यापन में श्री नासिर अली, स.वा.क. अ.द्वितीय, करापवंचन, झुंझुनु इनका सहयोग करेंगे।

दिनांक 18.01.2017 व 19.01.2017 को वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन झुंझुनु को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा उपरोक्त गठित टीम में क्रं सं. 3 व 4 पर अविश्वास प्रकट करते हुए न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उन्हें टीम से हटाने का निवेदन किया।

अतः प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में उपायुक्त (प्रशासन) को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 16.01.2017 के द्वारा सत्यापन हेतु गठित टीम में श्रीमती सुमन बुडानिया स.वा.क.अ झुंझुनु, श्री चंद माहीच, क.वा.क.अ

झुंझुनु व श्री श्रीपाल सिंह क.वा.क.अ आई झुंझुनु को नियुक्त किया जावे। वक्त जांच वाहन में आइटम नम्बर 26 में (रेडीमेड आइटम) व 42 में (रबड़ गेंद) उपलब्ध थे या नहीं थे। उक्त आईटमों का गठित टीम द्वारा सही सत्यापन किया जावे। इस बिन्दु पर प्रकरण पुनः जांच हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को ^{मूल्यांकन सीमा तक} अपास्त किया जाकर, सत्यापन रिपोर्ट आने के पश्चात पुनः मूल्यांकन हेतु एवं आइटम नम्बर 26 (रेडीमेड आइटम) व 42 (रबड़ गेंद) की जांच बाबत सशक्त अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा प्रकरण उपरोक्तानुसार सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(खेमराज)
अध्यक्ष